(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 59/2026-26
नई दिल्ली, दिनांक: 09 फरवरी, 2026

विषय: मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में।

सा.आ.(अ): समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए दिनांक 01.10.2024 की अधिसूचना सं. 34/2024-25 दी गई देशों की सूची में संशोधन करती है।

2. निम्नलिखित अतिरिक्त देशों को शामिल करने के लिए अधिसूचना सं. 34/2024-25 के पैरा 1(v) में उल्लिखित देशों की सूची का एतद्द्वारा विस्तार किया जाता है:

I. अजरबैजान
II. उज़्बेकिस्तान
III. कजाकिस्तान
IV. तजाकिस्तान
V. किर्गिज़स्तान
VI. मिस्र
VII. अल्जीरिया
VII. सीरिया
IX. लेबनान
X. सेनेगल
XI. मालदीव
XII. ब्रूनेई
XIII. लीबिया
XIV. ट्यूनीशिया
XV. तुर्कमेनिस्तान
XVI. यमन
XVII. मॉरीशस
XVIII. सेशेल्स
XIX. केन्या
XX. मोरक्को

3. उपर्युक्त सूचीबद्ध अतिरिक्त देशों के लिए "भारत अनुपालन मूल्यांकन स्कीम (आईसीएएस) हलाल" के अंतर्गत अनुपालन आवश्यकताएं निम्नलिखित रूप से प्रभावी होगा:

- मिस्र को छोड़कर उपर्युक्त सभी देशों के लिए: इस अधिसूचना की तिथि से दो (02) सप्ताह की संक्रमण अवधि के बाद प्रभावी होगी।
- मिस्र के लिए: प्रमाणन निकायों की प्रणाली की तैयारी और ऑनबोर्डिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए इस अधिसूचना की तिथि से छह (06) महीने के बाद प्रभावी होगी।

4. अधिसूचना सं. 34/2024-25 के अनुसार एनएबीसीबी मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता और आयात करने वाले देश के नियमों के अनुपालन सहित सभी अन्य नीतिगत शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विनिर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों के लिए आई-सीएएस ढाँचे के अंतर्गत अनिवार्य हलाल प्रमाणन के लिए अधिसूचित देशों की सूची में बीस (20) अतिरिक्त देश जोड़े गए हैं।

(लव अग्रवाल)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/166/एएम21/ईसी/ई-24267 से जारी)